सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 414 राँची, मंगलवार, 2 सितम्बर, 2025 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त, 2018

संख्या-एल0जी0-27/2017-31/लेज०,--झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-21/03/2018 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024
(झारखण्ड अधिनियम- 06, 2018)

झारखण्ड राज्य में "झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय" की स्थापना एवं समावेश के लिए तथा उसे एक निजी विश्वविद्यालय की स्थिति प्रदान करने हेतु एवं उससे संबंध अनुषांगिक मामलों हेतु एक विधेयक ।

जबकि राँची में ''झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति द्वारा प्रवर्ति त' झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश लाभकारक/युक्तिसंगत है।

एतद् द्वारा भारतीय गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1.1 यह अधिनियम "झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017" कहलायेगा।

1.2 इसका प्रसार-विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

1.3 यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय।

2. परिभाषा

2.1 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

2.2.1 "शैक्षणिक परिषद्" का अर्थ, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद से है, जो अधिनियम कि धारा 22 में वर्णित है;

2.2.2 "वार्षिक प्रतिवेदन" का आशय, विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन से है, जो अधिनियम कि धारा 36 में वर्णित है;

2.2.3 "प्रबंधन परिषद्" का अर्थ, विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद से है, जो अधिनियम कि धारा 21 में वर्णित है;

2.2.4 "परिसर" का आशय, विश्वविद्यालय के क्षेत्रफल से है, जहाँ यह अवस्थित है

2.2.5 "कुलाधिपति" का आशय, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है, जो अधिनियम कि धारा 12 के अधीन नियुक्त होंगे;

2.2.6 "मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी" का अर्थ, विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी से है, जो अधिनियम कि धारा 16 के अधीन होंगे;

2.2.7 "परीक्षा नियंत्रक" का अर्थ, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से है, जिनकी नियुक्ति अधिनियम कि धारा 17 के अधीन हुईहो;

2.2.8 "अंगीभूत महाविद्यालय" से आशय, वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हो ;

2.2.9 "कर्मचारी" से आशय, विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी से है, तथा इसमें शिक्षक एवं अन्य कर्मी सम्मिलित है;

2.2.10 "स्थायी निधि" से आशय, विश्वविद्यालय की स्थायी निधि से है, जिसकी स्थापना अधिनियम कि धारा 34 के अधीन हुईहो;

2.2.11 "संकाय" से आशय, समान अनुशासनों से शैक्षणिक विभाग के समूह से है;

2.2.12 ''शुल्क'' से आशय, विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन एवं प्रसंगाधीन कार्य हेतु विद्यार्थियों से ली गयी राशि से है;

2.2.13 ''सामान्य निधि'' से आशय, विश्वविद्यालय के सामान्य निधि से है, जिसकी स्थापना अधिनियम कि धारा 35 के अधीन हु ईहो;

2.2.14 ''शासी निकाय'' का अर्थ, विश्वविद्यालय के शासी निकाय से है, जिसका गठन अधिनियम कि धारा 20 की अधीन हु आहो;

2.2.15 ''राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन'' से आशय, विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद, बैंगलूरूसे है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्व संस्थान है;

2.2.16 ''विहित'' का अर्थ अधिनियम के अन्तर्गत विहित परिनियम और नियमावली से है;

2.2.17 'कुल सचिव'' का अर्थ, विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है तथा जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हु ईहो;

2.2.18 'नियामक निकाय'' का आशय, भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के शैक्षणिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसे निकाय, जो भारत सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;

2.2.19 'नियमावली'' से आशय, इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित विश्वविद्यालय की नियमावली से है;

2.2.20 'अनुसूची'' का अर्थ, इस अधिनियम के तहत् संलग्न अनुसूचीसे है;

2.2.21 विश्वविद्यालय से संबंधित प्रायोजक निकाय का अर्थ है -

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत झारखण्ड राज्य खेल संवर्द्धन साईटी।

2.2.22 'राज्य सरकार'' से आशय, झारखण्ड की राज्य सरकार से है; जो प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व हों।

2.2.23 ''परिनियम'' अध्यादेश एवं विनियम से आशय, विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम से है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई है;

2.2.24 ''विश्वविद्यालय के विद्यार्थी'' से आशय, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें

अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;

2.2.25 "शिक्षक" से आशय, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था से है, शिक्षण में निर्देशित अथवा शोध कार्य संचालन हेतु उपाधि, सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो; इसमें अंगीभूत महाविद्यालय संस्थान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम/शर्तों के अधीन संचालित हो के प्राचार्य भी सम्मिलित है।

2.2.26 "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से आशय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

2.2.27 "विश्वविद्यालय" का अर्थ, इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय से है;

2.2.28 "कुलपति" से आशय, विश्वविद्यालय के कुलपति से है तथा जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा - 13 के तहत् हुई हो;

2.2.29 "विजिटर/"अतिथि/"आगंतुक से आशय, विश्वविद्यालय के "विजिटर/"अतिथि/ "आगंतुक" से है तथा जो इस अधिनियम की धारा - 10 में वर्णित है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना -

3.1 विश्वविद्यालय की स्थापना 'झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय" के नाम से होगी।

3.2 विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह राँची में अवस्थित होगा।

3.3 राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के बाद ही खेल विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा।

3.4 इस अधिनियम की अनुसूची'ए में सम्मिलित प्रावधानों को खेल विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि में पूरा करेगा।

3.5 विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन समिति, शैक्षणिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी या सदस्य या प्राधिकार एतद् विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएगे; जब तक वे इस पद पर हैं अथवा उनकी सदस्यता बनी रहेगी।

3.6 खेल विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा तथा जो विद्यार्थियों को उपाधि, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु किसी अन्य महाविद्यालय या संस्थान को संबद्ध नहीं कर सकेगा।

3.7 "झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय" के नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् उत्तराधिकार और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन तथा सम्पत्ति ग्रहण व उस पर आधिपत्य रखने तथा अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने या वाद करने का अधिकार होगा।

3.8 "विश्वविद्यालय" राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। बशर्ते की राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से इन कार्यों के लिए दे सकती है ;

3.8.1 शोध, विकास और अन्य गतिविधियों के लिए, जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा

3.8.2 विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता दे सकती है;

4. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं इसके अनुप्रयोग:-

4.1 विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि, भवन और अन्य सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी है।

4.2 विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जायेगा।

5. विश्वविद्यालय के निबंधन/अवरोध और बाध्यताएँ:-

5.1 विश्वविद्यालय के खेल में व्यवसायिक पाठ्यक्रम, यथा खेल औषधि, योगा आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय समय पर नियामक निकाय, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

5.2 विश्वविद्यालय में प्रवेश-नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगठन द्वारा या राज्य के किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जायेगी।

5.3 विश्वविद्यालय के पूरी छात्र क्षमता का कम से कम पाँच प्रतिशत छात्रों को मेधा छात्रवृत्तिप्रदान करेगी।

5.4 विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों की कुल संख्याओं में से झारखण्ड राज्य के मूल निवासियों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य रूप से करेगी।

5.5 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेत्तर पदों को झारखण्ड राज्य के मूल निवासी के लिए आरक्षित करने का प्रावधान होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जाएगा।

5.6 विश्वविद्यालय के अकादमिक स्तर को बनाए रखने के लिए यथेष्ट/पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो।

5.7 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्य स्टेक होल्डर के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी), के तहत् सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत्त सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ,उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ।

5.8 परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियों/डिप्लोमा प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।

5.9 विश्वविद्यालय को स्थापना के प्रदत्त पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से संबंध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण कराना होगा।

5.10 इस अधिनियम में वर्णित कोई भी अंश जबतक अन्यथा/आवश्यक उल्लिखित ना हो, विश्वविद्यालय सिड्यूल - A में उल्लिखित शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगी तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के नियामक संस्था द्वारा स्थापित सभी नियम, परिनियम तरीके को मानेगी एवं ऐसी अन्य संस्था को अपने कत्र्तव्यों के निर्वहन करने के लिए आवश्यक सभी सुविधा/सहयोग प्रदान करेगी।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य - विश्वविद्यालय के निम्न उद्देश्य है -

6.1 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के ज्ञान को विकसित करना, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से विकसित शैक्षणिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा खेल प्रशिक्षण की उन्नत तकनीकी को भी प्रदान करना तथा जिसमें सैद्धांतिक जानकारी, व्यवहारिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाना तथा जिससे विशेषज्ञता का सृजन हो, शारीरिक शिक्षण में संवर्द्धन प्रदान करना एवं खेल के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

6.2 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, खेल तकनीकी के क्षेत्र में हर स्तर पर ज्ञान, कौशल और क्षमता की अभिवृद्धिकरना तथा सभी तरह के खेल विधाओं, गेम्स में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना।

6.3 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में उच्च दक्षता प्राप्त नायकों को तैयार करना खेल तकनीकी तथा सभी खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

6.4 शारीरिक शिक्षण एवं क्रीड़ा विज्ञान, खेल तकनीकी एवं सभी खेलों में उच्च उपलब्धि परक प्रशिक्षण देने के लिए अग्रणी स्रोत केन्द्र के रूप में स्थापित करना।

6.5 शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल तकनीकी एवं उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण सभी खेलों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन/सहयोग प्रदान करना।

6.6 शारीरिक शिक्षण, खेल विज्ञान, तकनीकी एवं उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्रशिक्षण सभी खेलों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिये विद्यालयों/महाविद्यालयों, खेल एवं मनोरंजन संस्थाओं, खेल संस्थानों, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय संघों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा -

किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा।

8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ -

8.1 विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालय की स्थापना, प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँचको, झारखण्ड राज्य में अवस्थित इसके परिसर में संचालन व प्रबंधन करना;

8.2 खेल विज्ञान एवं शिक्षा, प्रबंधन एवं खेल विषय से संबंधित अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षण - प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध करना;

8.3 शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणादायक प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे खेल शिक्षा प्रदान करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त किया जा सके;

8.4 खेल शिक्षा प्रदान करने में लचीलापन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं शिक्षा प्रणाली में इलेक्ट्रोनिक अधिगम विहित करना;

8.5 किसी व्यक्ति को खेल विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण - पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु परीक्षा/जाँच का आयोजन करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण - पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;

8.6 फेलोशिप (शिक्षावृ ति), छात्रवृ ति, पदक और पुरस्कार निर्धारित एवं प्रदान करना;

8.7 परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;

8.8 अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, खेल संस्थान, खेल महाविद्यालय की स्थापना करना और खेल विश्वविद्यालय के मतानुसार खेल से संबंधित कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन करना;

8.9 शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन करना एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना;

8.10 खेल ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना करना;

8.11 खेल प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रबंधन एवं खेल से संबंध अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्र् रायोजनएवं दायित्व वहन करना;

8.12 समान उद्देश्यों के किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व सम्बद्धता;

8.13 खेल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;

8.14 शोध कार्य आरम्भ करना तथा ऐसे शोध के लिए सक्षम प्राधिकारों से पेटेन्ट, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों की प्रकृति के पंजीकरण प्राप्त करना;

8.15 विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विश्व के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों का अदान-प्रदान के द्वारा अनुकूलएवं स्वीकार्य तरीके से एवं सहयोग सामंजस्य स्थापित करना;

8.16 अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

8.17 शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं खेल विशेषज्ञों एवं खेल प्रबंधन प्रोद्यौगिकी तथा अन्य संबंद्ध क्षेत्रों के विशोषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाना एवं विकसित करना;

8.18 महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करना;

8.19 खेल विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;

8.20 विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, साफ्टवेयर एवं अन्य संसाधनों को प्राप्त करना;

8.21 विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था करना;

8.22 खेल-सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की संवर्द्धन के लिए बड़े कमरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियमों का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव करना;

8.23 खेल विश्वविद्यालय के अधिवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु आवास का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना;

8.24 परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क निर्धारित करना तथा वसूली/प्राप्ति करना;

8.25 फेलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की संस्थापना एवं प्रदान करना;

8.26 विश्वविद्यालय, आवश्यकता या उद्देश्य पूर्ति हेतु किसी भूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहार व वसीयत या अन्य तरीके से उपयोग हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिसे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित समझे;

8.27 विश्वविद्यालय के हित, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मान्य तरीके से विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी अंश को झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (J.S.S.P.S) के परामर्श से बेचना, विनिमय करना, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना;

8.28 विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को संवर्द्धित करना, अनुबंध (बोन्ड) पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की वृद्धि करना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप व्यवस्थित एवं संवर्द्धित करना;

9. सम्बद्धता के निषेधः-

9.1 विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता लेने के विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करेगा।

9.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के पूर्व स्वीकृति के पश्चात् विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अध्ययन केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अंदर या बाहर शुरू कर सकेगा।

9.3 दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के उपरांत ही की जाएगी।

10. आगंतुक (विजिटर):-

10.1 झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे।

10.2 आगंतुक (विजिटर) जब उपस्थित रहेंगे, तो डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर ओहदा (पदनाम) और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

10.3 आगंतुक को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को बनाये रखने हेतु भ्रमण करने का अधिकार होगा।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी:-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः-

(a) कुलाधिपति

(b) कुलपति

(c) कुल सचिव

(d) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

(e) परीक्षा नियंत्रक

12. कुलाधिपतिः-

12.1 झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (J.S.S.P.S) के शासी निकाय के अध्यक्ष खेल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

12.2 कुलाधिपति पदेन रूप से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

12.3 कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर) मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

12.4 कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित एवं प्रायोजक निकाय के प्रमुख को संबोधित करते हु एअपने पद से इस्तीफा दे सकते है।

12.5 कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः-

(a) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करनाय

(b) कुलपति की नियुक्ति करनाय

(c) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को कार्यमुक्त करना और

(d) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों का उपयोग करना

13. कुलपतिः-

13.1 कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप एवं प्रायोजक निकाय के सलाह पर करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे, परन्तु 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से कार्यावधि के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृ तहो जायेंगे।

परन्तु कुलपति प्रथम पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् भी अगले पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्तिके पात्र हो सकते है।

13.2 कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण करेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे।

13.3 आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

13.4 कुलपति यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है; तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में उनके द्वारा कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का वह प्राधिकार या विश्वविद्यालय में सेवारत कोई अन्य व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से असंतुष्ट हो, तो वे इस उपधारा के तहत निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को सम्पुष्ट, संशोधित या परिवर्ति त कर सकते है।

13.5 कुलपति अधिनियम के तहत् विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों और इस संबंद्ध अन्य कार्य निर्धारित दायरे में कर सकते हैं।

14. कुलपति की पदच्युतिः-

14.1 कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपतिः-

(a) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों, अथवा

(b) विश्वविद्यालय के हितो के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हो, या

(c) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति इस तथ्य के बावजूद कि कुलपति का कार्यालय पूरा नहीं हु आ है, लिखित कारण बताते हु ए आदेश में निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते है।

14.2 कुलपति को उपधारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की बिना सूचना दिए और बिना कारण पृ च्छाका अवसर दिये, कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

15. कुलसचिवः-

15.1 कुल सचिव प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएगें। कुल सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता धारक होंगे।

15.2 कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा एकरारनामा करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो।

15.3 कुल सचिव, कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

16. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारीः-

16.1 प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो।

16.2 मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों को प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है।

17. परीक्षा नियंत्रकः-

17.1 परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

17.1.1 परीक्षा नियंत्रक के कार्य होंगेः-

(a) अनुशासित एवं कुशल तरीके से परीक्षा संचालित करना

(b) सख्त गोपनीयता से प्रश्न-पत्रों का चयन एवं संकलन की व्यवस्था करना

(c) परीक्षाफल हेतु निर्धारित समय सारिणी के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना।

(d) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठा को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् समीक्षा करना।

(e) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों।

18. अन्य अधिकारी:-

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उनके अधिकार कर्तव्यों का निर्धारण वैसा होगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो।

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारः-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा -

(a) शासी निकाय

(b) कार्यकारी परिषद्

(c) शैक्षणिक परिषद्

(d) वित्त समिति

(e) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों।

20. शासी निकाय:

20.1 शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा -

(a) कुलाधिपति

(b) कुलपति

(c) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड

(d) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी०सी०एल०

(e) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड

(f) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड

(g) निदेशक, वित्त, सी०सी०एल०

(h) कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण

(i) कुलाधिपति द्वारा झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति की अनुशंसा पर नामांकित तीन सदस्य, जिसमें दो व्यक्ति खेल के क्षेत्र में प्रसिद्धि के होंगे

(j) कुलाधिपति द्वारा नामांकित एक सदस्य, जो प्रबंधन या तकनीकी क्षेत्र का विशेषज्ञ तथा वो विश्वविद्यालय के बाहर से होगा

(k) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खेल मंत्रालय

(l) भारतीय ओलम्पिक संघ/भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल संस्थान अन्य महत्वपूर्ण निकायों से खेलकूद का एक विशेषज्ञ

(m) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर का एक प्रतिनिधि

20.2 शासी निकाय खेल विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं प्रधान शासी निकाय होगा। इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा -

(a) नियम, परिनियम, अधिनियम, अथवा अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण करना, नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना

(b) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों के निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे नियमों, अध्यादेशों, कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो

(c) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना

(d) विश्वविद्यालय के अनुपालनार्थ विस्तारीकरण की नीतियों का निर्माण करना

(e) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रायोजक निकाय को अनुशंसा करना, यदि सम्पूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य सम्पन्न करने की स्थिति में नहीं हों

(f) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

20.3 शासी निकाय की बैठक में एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी।

20.4 बैठक का कोरम चार होगा;

बशर्ते प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड सरकार या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, खेल, खेल निदेशालय प्रत्येक बैठक में उपस्थित हो, जिसमें की खेल विश्वविद्यालय की सरकारी नीतियों या निदेशों से संबंधित निर्णय लिये जाना हो।

21. प्रबंध समितिः-

21.1 प्रबंधन समिति निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथाः

21.1.1 कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष (अर्थात् सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड)

21.1.2 सरकार के प्रधान सचिव/सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि।

21.1.3 मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय प्रबंधन समिति (LMC), JSSPS

21.1.4 क्षेत्रीय निदेशक, साई कोलकाता

21.1.5 निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, झारखण्ड, राँची

21.1.6 कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण

21.1.7 JSSPS द्वारा प्रशासी निकाय के नामांकित दो सदस्य

21.1.8 निदेशक, वित्त, सी॰सी॰एल॰

21.1.9 कुलसचिव

21.1.10 मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

21.2 कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड के सभापति होंगे।

21.3 प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम मे जैसा निर्दिष्ट है के अनुरूप होगा।

21.4 प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम चार होगा।

22. शैक्षणिक परिषद्:

22.1 अकादमिक परिषद् में कुलपति तथा वैसे सदस्य होंगे, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है।

22.2 अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे।

22.3 अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन या विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समान्य पर्यवेक्षण तथा समन्वय करेगी।

22.4 अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम अधिनियम में उल्लेखित परिनियम के अनुरूप होगा।

23. वित्त समिति:

23.1 वित्त समिति विष्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी।

23.2 वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

24. अन्य प्राधिकार

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य प्रावधान के अनुरूप होगा।

25. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यताः-

वह व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के अयोग्य होगा, जो:-

25.1 अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

25.2 दिवालिया घोषित हो।

25.3 यदि नैतिक स्खलन (अधमता) के अपराध का दोषी पाया गया हो।

25.4 किसी परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार या कहीं भी अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए दंडित किया गया हो।

25.5 किसी नियोक्ता द्वारा बर्खास्त किया गया हो, हटाया गया हो या उसे दंड दिया गया हो।

26. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के संस्थान प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी:-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कार्य या कार्यवाही सिर्फ इस कारण अमान्य नहीं होगी, जो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन में रिक्ति अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की संरचना में दोष के कारण हु आहो।

27. समितियों का गठन:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तो के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियाँ का गठन कर सकेंगे।

28. परिनियम, अध्यादेश और विनियम:

28.1 प्रथम परिनियम:-

28.1.1 इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमो के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा:-

28.1.1.1 विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय-समय पर गठन, शक्तियों और कार्यवाहियों का निर्धारण।

28.1.1.2 कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की अर्हत्ता, शर्तो और उनकी शक्तियों तथा कार्यो का निर्धारण।

28.1.1.3 कुल सचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और अर्हता/ शर्तो उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण।

28.1.1.4 अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति, अर्हता, शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारण।

28.1.1.5 खेल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तो का निर्धारण।

28.1.1.6 कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और खेल विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण।

28.1.1.7 मानद उपाधियाँ प्रदान करना।

28.1.1.8 विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क में छूट, छात्रवृतितथा फेलोशिप न करने के लिए प्रावधान।

28.1.1.9 सीटों के आरक्षण/ प्रवेश (नामांकन) का नीति का निर्धारण तथा

28.1.1.10 विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण

28.2 विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

28.3 खेल विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, देगी।

28.4 सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियम पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित करेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अन्तर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने का कारण बतायेगी। राज्य सरकार ऐसे कारणों पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है।

28.5 राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है, उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जायगा।

29. परवर्ती परिनियम:-

29.1 इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों के तहत विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकती है यथाः-

(a) खेल विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृ जन।

(b) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया।

(c) खेल विश्वविद्यालय के प्राधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व।

(d) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुर्नगठन

(e) पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण

(f) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया

(g) शुल्क का पुनरीक्षण

(h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा

(i) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक हों।

29.2 पहले परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य परिनियमो का निर्माण शासी निकाय की सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

29.3 उप धारा (2) के अन्तर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्राप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी।

29.4 राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगी और परिनियमों में किये गये संशोधनों पर सहमति देगी अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगी।

29.5 राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

30. प्रथम अध्यादेश:-

30.1 इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था के लिए प्रावधानित किया जा सकता है, यथा:-

30.1.1 विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और तदनुसार नामांकन

30.1.2 विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य प्रमाण पत्रों के अध्ययन हेतु पाठयक्रम का निर्धारण

30.1.3 डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता।

30.1.4 फेलोशिप, छात्रवृ ति, वजीफा, पदक और पुरस्कार प्रदान करने हेतु शर्तो 30.1.5 परीक्षा चालन नियमों के अनुसार संचालक निकाय परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं कर्तव्यों का निर्धारण।

30.1.6 विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए खेल विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क निर्धारण

30.1.7 खेल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासन की शर्ते

30.1.8 विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान

30.1.9 विश्वविद्यालय के अकादमिक परिवेश की उन्नति के लिए आवश्यक किसी निकाय के सृ जन संरचना और कार्य पर विचार

30.1.10 दूसरे खेल विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनो) एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयाग के तरीके, 30.1.11 ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक हो।

30.2 खेल विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश कुलाधिपति द्वारा बनाया जायगा जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदन के बाद राज्य सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

30.3 उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी।

30.4 कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हु एप्रथम अध्यादेश को वापस राज्य सरकार के पास भेजेंगे। राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

31. परवर्ती अध्यादेश -

31.1 प्रथम अध्यादेश के अलावा अन्य सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा बनाये जाऐंगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाऐंगे।

31.2 उप धारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक सम्भव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी।

31.3 अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेश को संशोधित करेगी या राज्य सरकार के सुझावों को शामिल नहीं करने का कारण बताएगी और अध्यादेश को राज्य सरकार को पुनः वापस सौंपेगी। राज्य सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेषों को संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के स्वीकृत करेगी, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

32. विनियम:

खेल विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम के अनुकूल, नियम, परिनियमों और अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेगे।

33. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार:

33.1 शिक्षण, परीक्षा और शोध का स्तर तथा किसी अन्य मामले की जाँच करने के उद्देश्य से राज्य सरकार विश्वविद्यालय से संबंधित ऐसे लोगों के द्वारा जिन्हें वह उपयुक्त समझती है निर्दिष्ट तरीके से मुल्यांकन करा सकेगी।

33.2 राज्य सरकार ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपायों को अपना सकती है और इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

33.3 यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशंसा का पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहती है तो राज्य सरकार उसे उपयुक्त निर्देश देगी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

34. स्थायी (अक्षय) निधि:-

34.1 उद्देश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रायोजक) निकाय खेल विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा।

34.2 खेल विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम के परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा। यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का उल्लंघन करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा।

34.3 विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुईआमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कर सकेगा लेकिन इसे विश्वविद्यालय के दिनानुदिन खर्च पर व्यय नही करेगी।

34.4 विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसे कि सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्धारित किया जाएगा।

34.5 दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और सरकारी खजाने में ब्याज धारित व्यक्तिगत जमा खातों में जमा करने की स्थिति में शर्त यह होगी कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी।

35. सामान्य निधि:-

35.1 खेल विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होगी:-

35.1.1 खेल विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क

35.1.2 प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि

35.1.3 अपने लक्ष्य सिद्धि के क्रम में खेल विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य यथा - परामर्श आदि से प्राप्त आय:

35.1.4 न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदानऔर किसी भी अन्य प्रकार का अनुदान तथा

35.1.5 खेल विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि।

35.2 सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा-

35.2.1 इस अधिनियम और इसके अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवंनियमों हेतु शाही निकास की पूर्व स्वीकृति के साथ खेल विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु:

35.2.2 खेल विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख-रखाव हेतु ,

35.2.3 धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क,

35.2.4 खेल विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु ,

35.2.5 अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों गैर शैक्षाणिक कर्मियों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, गैच्यूटी और अन्य लाभों के भुगतान हेतु,

35.2.6 प्रबंधन निकाय, कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के सदस्य, अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकायों के अध्यक्ष अथवा कुलाधिपति अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्य द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु,

35.2.7 फेलोशिप, निशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों प्रशिक्षुओं (जो भी हो) विधेयकों, परिनियमों एवं नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के पुरस्कार के भुगतान हेतु

35.2.8 अधिनियम के प्रावधानों, परिनियामों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु ,

35.2.9 प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशो की मूल लागत, जो समय समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान करने की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए,

35.2.10 इस अधिपियम के प्रावधानों, परिनियामों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालयों द्वारा लिए गए परामर्ष से संबंधित कार्यों पर किये व्यय के भुगतान हेतु ,

35.2.11 किसी संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को प्रायोजक निकाय के बदले में हित में दी गयी प्रबंधन सेवा सहित विशेष सेवा देने हेतु देय सेवा शुल्क तथा शाही निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध अन्य कार्यों के भुगतान हेतु ,

बशर्ते कि कुल आवर्ती/व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा।

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

36. वार्षिक प्रतिवेदन:-

खेल विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देष्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इस राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

37. अंकेक्षण एवं वार्षिक लेखा -

37.1 विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा परीक्षा (बैंलेस शीट सहित), वर्ष में कम-से-कम एक बार विश्वविद्यालय के माँग पर योजना -सह- वित्त विभाग द्वारा गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जायेगा।

37.2 वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

विश्वविद्यालय का समापन

38. विश्वविद्यालय का समापन:-

38.1 यदि प्रायोजक निकाय विधि सम्मत प्रावधानित तरीके से इसके गठन तथा निगमीकरण से स्वयं को भंग करना चाहे, तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी।

38.2 राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात, विश्वविद्यालय के प्रशासन की आवश्यकता अनुसार, उपयुक्त व्यवस्था, प्रवर्तक निकाय के विघटन की तिथि से आखिरी सत्र के विद्यार्थियों (जो विश्वविद्यालय में नामांकित है) के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी तथा सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के आगे का संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है।

39. विश्वविद्यालय का विघटन:-

39.1 प्रायोजक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे राज्य सरकार को एतत्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार यथोचित विचार के पश्चात् विहित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित कर सकती है।

बशर्ते कि खेल विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र पाठ्यक्रम पूरा न कर लें और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के प्रमाण हो, प्राप्त न हो जायें।

39.2 विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी सम्पतियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएगी।

39.3 यदि उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो निर्धारित तरीके से समान उद्देश्य वाली अन्य निकायों को विश्वविद्यालय के विघटन तक उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शाही निकास की शक्तियों निहित कर सकेगी।

40. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ:-

40.1 राज्य सरकार यदि आश्वस्त होती है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम, नियम के प्रावधानों, अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है अथवा उसके द्वारा इस अधिनियम के तहत जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया है अथवा वित्तीय कुप्रबंधन या कुप्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गई है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बता सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय।

40.2 विश्वविद्यालय द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट होती है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हु आहै अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन या कुप्रशासन है तो वह आवश्यक एवं उपयुक्त जाँच का आदेश देगी।

40.3 उपधारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच अधिकारी या अधिकारियों को ऐसे आरोपों की जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्ति करेगी।

40.4 उपधारा (4) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होगी, जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया संहित। 1908 में प्रदत्त हैं, यथा -

40.4.1 किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति को अनिवार्य करने और शपथ के साथ उनका परीक्षण करना।

40.4.2 प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज या दूसरीअन्य सामग्री की खोज करने/ प्रस्तुत करने का निर्देश देना;

40.4.3 किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना।

40.5 उप धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी प्रावधान, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेषों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कुप्रबधंन या कुप्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है जिससे कि अकादमिक स्तर पर प्रश्न - चिन्ह खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

40.6 उपधारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड की सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं उसके सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्री या डिप्लोमा न दे दी जाएँ।

40.7 नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र का डिग्री या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, प्रदान करने के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।

40.8 उपधारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसम्पत्यिाँ और देनदारियाँ प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगी।

अन्यान्य

41. नियम बनाने के लिए सरकार की शक्तिः-

41.1 इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिये शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बना सकती है।

41.2 इस अनुच्छेद के तहत् बनाये गये सारे नियम 30 दिनों के अन्दर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जायेगे या राज्य विधानमंडल उसी सत्र में या अगले सत्र किसी तरह का सुधार/संसोधन कर सकती है।

42. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापनः-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा खेल विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं का कोई विद्यार्थी जो इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत पहने अध्ययनरत था या जो उस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का योग्य था, उसे उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की सुविधा संबद्ध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित तरीके से तथा निर्धारित समयावधि के लिए उपलब्ध करायी जायगी।

43. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तिः-

43.1 यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए कठिनाईयों को शीघ्र दूर करने के लिए प्रावधान करेगी।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्षो के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

43.2 इस धारा के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची-ए

1. एकल प्रभाव क्षेत्र के लिए इनका मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2. शैक्षणिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष प्रयोगशालाएँ होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जाये कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत का आवासन हो सके, का निर्माण करना होगा, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा। यदि खेल विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। पूर्व को विघमान संस्थान को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान के के अनुसार विस्तार, पुनरूद्वार एवं पुनर्रचना अवश्य करना होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रवास कुमार सिंह),
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त, 2018

संख्या-एल0जी0-27/2017-32/लेज०--झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-21/03/2018 को अनुमत झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND STATE SPORTS UNIVERSITY ACT, 2017
(**Jharkhand Act- 06, 2018**)

An Act to provide for the establishment and incorporation of the **Jharkhand State Sports University** in the State of Jharkhand, and to confer the status of a Private University thereon and for matters connected therewith and incidental thereto;

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment and incorporation of the **JSSU UNIVERSITY** at RANCHI, Jharkhand promoted by Jharkhand State Sports Promotion Society (JSSPS)

It is hereby enacted in the Sixty-Eighth year of the Republic of India, by the Legislature of Jharkhand, as follows :

1. Short Title, Extent and Commencement

1.1 This Act may be called **"JHARKHAND STATE SPORTS UNIVERSITY ACT, 2017".**

1.2 It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

1.3 It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions.

2.1 In this Act, unless the context otherwise requires:

2.2.1 "Academic Council" means the Academic Council of the University as specified in section 22 of the Act;

2.2.2 "Annual Report" means the Annual report of the University as referred to in section 36 of the Act;

2.2.3 Board of Management" means the Board of Management of the University as constituted under section 21 of the Act;

2.2.4 "Campus" means the area of the university in which it is established;

2.2.5 "Chancellor" means the Chancellor of the University appointed under section 12 of the Act;

2.2.6 "The Chief Finance and Accounts Officer" means the Chief Finance and Accounts Officer" of the University appointed under section 16 of the Act;

2.2.7 "Controller of Examinations" means the Controller of Examinations of the University appointed under section 17 of the Act;

2.2.8 "Constituent College" means a college or an institution maintained by the University;

2.2.9 "Employee" means employee appointed by the University; and includes teachers and others staff of the University or of a constituent college;

2.2.10 "Endowment fund" means the endowment fund of the University establishment under section 34 of the Act;

2.2.11 "Faculty" means group of academic department of similar disciplines;

2.2.12 "Fee" means collection made by the university from the students for the purpose of any course of study and incidental thereto, in the University;

2.2.13 "General Fund" means the General fund of the University established under section 35 of the Act;

2.2.14 "Governing Body" means the governing Body of the University constituted under section 20 of the Act;

2.215 "National Assessment and Accreditation Council" means National Assessment and Accreditation Council, Bengaluru, an autonomous institution of the University Grants Commission;

2.2.16 "Prescribed" means prescribed by the Statutes and the rules made under this Act;

2.2.17 "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 15 of the Act;

2.2.18 "Regulatory Body" means a body established by the Government of India for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National Council for Teacher Education, Medical Council of India, Nursing Council, Indian Council of Agriculture Research, Council of Scientific and Industrial Research, etc. and includes the Government or any such body constituted by the Government of India or the State Government;

2.2.19 "Rules" means the rule of the University made under this Act;

2.2.20 "Schedule" means schedule appended to this Act;

2.2.21 "Sponsoring Body" in relation to the university means Jharkhand State Sports Promotion Society (JSSPS) a society registered under Societies Registration Act 1860;

2.2.22 "State Government" means the State Government of Jharkhand, represented by Principal Secretary/Secretary Tourism, Art Culture, Sports & Youth Affairs Department.

2.2.23 "Statutes", "Ordinances", and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;

2.2.24 "Student of the University" means a person enrolled in the university for taking a course of study for a degree, diploma, or other academic distinction duly instituted by the university, including a research degree;

2.2.25 "Teacher" means a professor, Associate professor, Assistant Professor or such of the other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College or Institution and includes the Principal of a Constituent College or institution, in conformity with the norms prescribed by the University Grants Commission;

2.2.26 "University Grants Commission" means the University grants Commission established under the university Grants commission Act, 1956;

2.2.27 "University" means the **Jharkhand State Sports University,** Jharkhand established under this Act.

2.2.28 "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 13 of the Act;

2.2.29 "Visitor" mean the Visitors of the University referred to in section 10 of the Act.

3. Establishment of University.

3.1 There shall be established the University by the name '**Jharkhand State Sports University'.**

3.2 The headquarters of the University shall be within the State of Jharkhand and shall be situated at Ranchi.

3.3 The Sports University shall start operation only after the State Government issues the letter of authorization.

3.4 The sports University shall meet the conditions mentioned in the schedule A of the Act within the stipulated time.

3.5 The Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, the Chancellor, the Vice Chancellor, the Registrar, the Teachers, the Chief Finance and Accounts Officer and such other Officers or members or authorities so long as they continue to hold such office or membership of the University hereby constitute a body corporate by the name or the University.

3.6 The Sports University shall function as non-affiliating University and they shall not affiliate any other college or institute for the conferment of degree, diploma and for grant of certificate to the student admitted therein.

3.7 The university shall be a body corporate by the name '**JHARKHAND STATE SPORTS UNIVERSITY**' and will have perpetual succession and common seal with power, subject to the provision of this Act, to acquire and hold property, to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

3.8 The University shall not receive any grant-in-aid or other financial assistance from the State Government or the Central Government.

Provided that, the State Government or the Central Government may provide financial support, including through grants or otherwise

3.8.1 For research, development and other activities for which other State Government Organization are provided financial assistance, or

3.8.2 For any specific research or programme based activity.

4. Properties of the University and its Application.

4.1 The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose other than that for which the same is acquired.

4.2 The properties, movable or immovable, of the university shall be administered by the Governing Body in such manner as may be provided for by the regulations in the furtherance of the objectives of the establishment of the University.

5. Restrictions and obligations of the University.

5.1 The tuition fees for professional courses in Sports such as Sports medicine, yoga, etc., in the university shall be determined by the University under the supervision of the regulatory body notified by the State Government from time to time.

5.2 Admission in the University shall be strictly on the basis of merit. Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination and achievement on co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by the University or an association of the Universities conduction similar courses or by any agency of the State Government.

5.3 The University shall allow merit scholarship at least five percent of the total strength, to the students.

5.4 The university shall compulsorily make provision for reservation of seats for the students domiciled in the State of Jharkhand to the extent of at least fifty percent.

5.5 The university shall make provisions for reservation of non-teaching posts in the university for the persons domiciled in the State of Jharkhand to the extent of at least fifty percent of the total number of non-teaching posts of the university. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the State Government from time to time.

5.6 The university shall appoint adequate number of teachers and officers in the University for maintaining the academic standards specified and shall ensure that the qualifications of such teachers or officers of the university shall not be lower than prescribed by the relevant Regulatory Bodies.

5.7 The university shall compulsorily place in the public domain every information in relation to the University which would be of interest to the students and other Stakeholders inter alia, including the courses offered, number of seats under different categories, fees and other charges, facilities and amenities offered, faculty in place and such other relevant information.

5.8 The Convocations of the University may, for conferring degrees, diplomas or for any other purpose, be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statues.

5.9 The university shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC) within five years of its establishment and such other regulating bodies of Government of India which are connected with the courses taken up by the University and inform the State Government about the grade provided to the University. The University shall get renewed such accreditation from time to time.

5.10 Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply the conditions mentioned in Schedule A of this Act, and all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies of Government of India and State Government and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

6. Object of the University:

The Object of the University is as follows namely:

6.1 To develop the knowledge of physical education and sports science, providing specially designed academic training programme in various areas of physical education and sports science and also advance technologies sports training which includes theoretical inputs practical training to generate expertise and strengthening physical education and sports training program to promote sports performance.

6.2 To generate capabilities for the development of knowledge, skills and competency at various levels in the field of physical education and sports science, sports technology, and high performance training for all sports and games

6.3 To prepare highly qualified leaders in the field of physical education and sports science, sports technology, and high performance training for all sports and games

6.4 To function as a leading resource center in the field of physical education and sports science, sports technology, and high performance training for all sports and games

6.5 To provide international collaboration in the field of physical education and sports science, sports technology, and high performance training for all sports and games

6.6 To establish close linkage with schools, colleges, sports and recreational clubs, sports associations and international federations for the purpose of teaching, training and research in physical education and sports science, sports technology, and high performance training for all sports and games

7. University open to all irrespective of sex, religion, class, colour, creed, or opinion.

No person shall be discriminated against or be excluded from any office of the university or from membership of any of its authorities or from admission to any course of study leading to a degree, diploma or other academic distinction on the ground of sex, race, creed, class, caste, place of birth and religious belief or political or other opinion.

8. Powers and functions of the University.

8.1 To administer and manage the University, establish, administer and manage its constituent colleges and centers for research, education, training, extension and outreach including continuing education, and e-learning in sports at its campus within the State of Jharkhand;

8.2 To provide for research, higher education, professional education, teaching training, extension and outreach including continuing education and e-learning in the fields of sports sciences and education, management, and any other fields related to sports discipline.

8.3 To conduct innovative experiments in educational technologies, teaching and learning methods in sporting discipline to collaborate with national and international sports institutions and to offer joint programmes with such institutes to constantly improve the delivery of sports education and to achieve international standards of sports education;

8.4 To prescribe curricula and methodologies including electronic means provide for flexibility in the delivery of sports education.

8.5 To hold examination and confer degree, diploma or grant certificate and other academic distinctions or title on persons subject to such condition as the sports University may determine and to withdraw or cancel any such degree, diploma or certificates and other academic distinction or titles in the manner prescribed by the Regulations;

8.6 To institute and award fellowships, scholarships, medals and prizes;

8.7 To confer honorary degree or other distinction on the manner prescribed by the Statues;

8.8 To establish schools, centers, sports institutes, sports college and conduct the sports programme and sports courses of study as are in the opinion of the sports University, necessary for the furtherance of its objects;

8.9 To provide for printing, publication and reproduction of research, educational material and other works and to organize exhibition, conferences, workshops and seminars in sports;

8.10 To establish sports knowledge resource centre;

8.11 To sponsor and undertake research and educational programmes in the fields of sports, technology, and education management, and other allied areas on the various fields of sports.

8.12 To collaborate or associate with any educational institution with like or similar objects;

8.13 To establish campuses including virtual campus for the purpose of achieving the objectives of the Sports University;

8.14 To undertake research and to obtain registration in respect of such research in the nature of patents, design rights and such or similar rights with the competent authorities;

8.15 To maintain linkages and collaborate with educational or other institutions in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the sports University, through exchange of students, researchers, faculty and staff and generally in such manner as may be conducive to their common objects developing sports discipline and its technical Education;

8.16 To render services of research, training, consultancy and such other services as required for the purposes of the Sports University;

8.17 To develop and maintain relationships with faculty, researchers, administrators and domain experts in sports science & technology, Sports management, and allied areas for achieving the object of the University;

8.18 To make special arrangement in respect to women and other disadvantaged students as the Sports University may consider desirable;

8.19 To regulate the expenditure and to manage the finances and to maintain the accounts of the Sports University;

8.20 To receive funds, movable and immovable properties, equipments, software and other resources from business, industry, other sections of society, national and international organization or any other source by transfers or as gifts, donations, benefactions or bequests for the purposes and objects of the Sports University;

8.21 To establish, maintain and manage halls, hostels for students and quarters for the residence of faculty and staff;

8.22 To construct, manage and maintain centers, complexes, auditorium, buildings, stadiums for the advancement of sports, co-curricular and extra-curricular activities;

8.23 To supervise and control the residence and regulate the discipline of students, faculty and staff of the Sports University and to make arrangements for promoting their health, general welfare, social and cultural activities conduct awareness programmes in sports etc;

8.24 To fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed by the Statues;

8.25 To institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;

8.26 To purchase or to take on lease or accept as gifts, bequests, legacies or otherwise any land or building or work which may be necessary or convenient for the purpose of the Sports University and on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;

8.27 To sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit and consistent with the interest, activities and objects of the Sports University in consultation with JSSPS;

8.28 To raise and borrow money on bond, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any or the properties and assets of the Sports University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay all expenses out of the funds of the University.

9. Bar to affiliation.

9.1 The Sports University shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.

9.2 The Sports University may open any off campus, offshore campus, and study centre, examination centers in or out of the State of Jharkhand only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the government or State or Central Government, as the case may be.

9.3 Courses under Distance mode can be started only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the Government.

10 The Visitors.

10.1 The Governor of Jharkhand will be the Visitor of the university.

10.2 The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for Conferring Degrees, Diplomas, Charters, Designation and certificates.

10.3 The Visitor shall have the right to visit the University or any institution maintained by the University to ensure the standard of education, discipline, decorum and proper functioning of the university.

11 Officers of the University:

The following shall be the officers of the University:

(a) The Chancellor

(b) The Vice Chancellor

(c) The Registrar

(d) The Chief Finance and Accounts Officer

(e) The Controller of Examinations

12. The Chancellor:

12.1 The President of Governing Council of Jharkhand State Sports Promotion Society shall be Ex-Officio Chancellor of the Sports University

12.2 The Chancellor by virtue of his office shall be the Head of the University.

12.3 The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the University for conferring degree, diplomas, or other academic distinctions.

12.4 The Chancellor may in writing under his hand addressed to the head of the sponsoring body resign his office.

12.5 The Chancellor shall have the following powers, namely:

(a) To call for any information or record;

(b) To appoint the vice Chancellor;

(c) To remove the Vice Chancellor in accordance with the provisions of this Act; and

(d) Such other powers as may be conferred on him by this Act or Statues made there under.

13. The Vice Chancellor:

13.1 The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the sponsoring body as per the qualification prescribed by the University Grants Commission and shall hold office for a period of five years. Provided that a person appointed as Vice chancellor shall retire from office during tenure of his office or extension thereof, if any when he completes the age of 70 years.

Provided further that after the expiry of the term of five years, the Vice Chancellor shall be eligible for re-appointment for another term of five years.

13.2 The Vice Chancellor shall be the Principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the university and shall execute the decisions of various authorities of the university.

13.3 In the absence of both Visitor and the Chancellor, the Vice Chancellor shall preside over the convocation of the university.

13.4 The Vice Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters;

Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice Chancellor under this sub section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.

13.5 The Vice Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

14. **Removal of Vice Chancellor:**

14.1 If at any time and after such inquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice Chancellor:

(a) Has failed to discharge any duty imposed upon him by or under this Act, the Statutes, the Ordinances, or

(b) Has acted in a manner prejudicial to the interests of the university, or

(c) Is incapable of managing the affairs of the university, then the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice Chancellor has not expired, require the Vice Chancellor, by an order in writing stating the reason there for, to resign his post from the date as may be specified in the order.

14.2 No orders under sub-section (1) shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action is proposed, has been served and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice Chancellor.

15. Registrar:

15.1 The Registrar shall be appointed by the President of the sponsoring body in such manner, as may be specified in the statutes. The Registrar shall possess the qualifications prescribed by the University Grants Commission.

15.2 The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other power and perform such other functions as may be prescribed.

15.3 The Registrar shall be the ex officio Member Secretary of the Executive Council and the Academic Council but shall not have a right to vote.

16. The Chief Finance and Accounts Officer:

16.1 The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the President of the Sponsoring Body in such manner as may be specified by the Statutes.

16.2 The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the Statutes.

17. The Controller of Examinations:

17.1 The Controller of Examinations shall be whole time officer of the University and shall be appointed by the President of the Sponsoring Body.

17.1.1 It shall be the duty of the controller of Examinations:

a) To conduct examinations in a disciplined and efficient manner;

b) To arrange for the setting of question papers with strict regards to secrecy;

c) To arrange for the evaluation of answer sheets in accordance with the planned time schedule for results;

d) To constantly review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it better instrument for assessing the attainments of students;

e) To deal with any other matter connected with examinations which may, from time to time be assigned to him by the Vice Chancellor.

18. Other Officers:

Manner of appointment and power and duties of the other officers of the University, if requirement arises in the future, shall be such as may be prescribed.

19. Authorities of the University:

The Following shall be the authorities of the University:

(a) The Governing Body

(b) The Executive Council

(c) The Academic Council

(d) The Finance Committee

(e) Such Other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

20. The Governing Body:

20.1 The Governing Body shall have the following members, namely:

(a) The Chancellor

(b) The Vice-Chancellor

(c) The Principal Secretary /Secretary to the Government, Department of Tourism, Art Culture, Sports & Youth Affairs.

(d) CMD, CCL

(e) The Principal Secretary/ Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, or his nominee.

(f) The Principal Secretary/ Secretary to the Government Planning-cum-Finance, Jharkhand.

(g) Director (Finance), CCL

(h) Executive Director, Sports Authority of Jharkhand.

(i) Three persons nominated by the Chancellor on the recommendation of Jharkhand State Sports Promotion Society (JSSPS), out of which two shall be eminent sports personality.

(j) One expert of management or technology from outside the University, nominated by the Chancellor; and

(k) Joint secretary, Minister of Sports, GOI.

(l) One expert of Sports from Indian Olympic Association (IOA)/ Sports Authority of India (SAI)/ National Institute of Sports (NIS)/Other important bodies.

(m) One representative from Lakshmi Bai National College of Physical Education, Gwalior.

20.2 The Governing Body Shall be the supreme authority and principal governing body of the Sport University. It shall have the following power, namely:

A. To provide general superintendence and directions and to control the functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act, Statutes, Ordinance Regulations or Rules;

B. To review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules;

C. To approve the budget and annual report of the University;

D. To lay down the extensive policies to be followed by the University;

E. To recommend to the sponsoring body for the dissolution of the University if a situation arises when there is no smooth functioning of the University in spite of best efforts; and

F. Such other powers may be specified by the statutes.

20.3 The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year.

20.4 The quorum of the meeting shall be four;

Provided that the Principal Secretary/Secretary to the Government, Department of Tourism, Art Culture, Sports & Youth Affairs, Jharkhand, or in his absence, Director, Sports shall be present in each meeting in which decisions on issues involving Government policies/instructions are to be taken for the sports University.

21. The Board of Management:

21.1 The Board of Management shall consist of the following members, namely;

21.1.1 The President of Executive Council (i.e. Secretary Art Culture Sports, Tourism, & Youth Affairs, Govt. Of Jharkhand.)
21.1.2 The Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education Jharkhand or his nominee.
21.1.3 CEO, LMC, JSSPS.
21.1.4 RD, SAI, Kolkata
21.1.5 Director (Sports), Directorate of Sports, Govt. Of Jharkhand.
21.1.6 Executive Director, SAJHA, Govt. Of Jharkhand.
21.1.7 Two members of the Governing Council, nominated by the JSSPS.
21.1.8 Director (Finance), CCL.
21.1.9 Registrar
21.1.10 Chief Finance & Accounts Officer.

21.2 The President of Executive Council shall be the Chair person of the Board of Management.
21.3 The Powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.
21.4 The quorum of the meeting shall be four;

22. The Academic Council:

22.1 The Academic Council shall consist of the Vice Chancellor and such members as may be specified by the statutes.

22.2 The Vice-Chancellor shall be the Chair person of the Academic Council.

22.3 The Academic Council shall be the principal academic body of the university and shall subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules, Coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the sports university.

22.4 The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the Statutes.

23. The Finance Committee:

23.1 The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.

23.2 The Constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.

24. Other Authorizes:

The constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

25. Disqualification for membership of an authority or body.

A person shall be disqualified from being a member of any of the authorities or bodies of the university, if he/she:

25.1 Is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

25.2 Is an adjudged insolvent;

25.3 Has been convicted of any offence involving moral turpitude;

25.4 Has been punished for indulging or in promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere;

25.5 Dismissed, removed or imposed major punishment by his erstwhile employer.

26. Vacancies not to invalidate the constitution of, or the proceedings of any authority or body of university.

No Act or proceeding of any authority of the sports university shall be invalid merely by reason of any vacancy in or defect in the constitution of any authority or body of the sports university .

27. Constitution of Committees:

The authorities of the University may constitute such committee with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed shall be such as may be prescribed by the Statutes.

28. STATUTES, ORDINANCE AND REGULATIONS

28.1 First Statute.

28.1.1 Subject to the provisions of this Act, and the rules made there under, the First statutes may provide for all or any of the following matters , namely:

28.1.1.1 The constitution, power and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

28.1.1.2 The terms and conditions of appointment of the Chancellor, the Vice Chancellor, and their powers and functions;

28.1.1.3 The manner and terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer, their powers and functions;

28.1.1.4 The manner and terms and conditions of appointment of other Officers and Teachers and their powers and functions;

28.1.1.5 The terms and conditions of service of employees of the Sports University;

28.1.1.6 The procedure for arbitration in cases of dispute between employees or student and the Sports University;

28.1.1.7 The conferment of honorary degrees;

28.1.1.8 The provisions regarding exemptions from payment of tuition fee and awarding scholarship and fellowship to the students;

28.1.1.9 Framing of policy for admission, including regulation of reservation of seats; and

28.1.1.10 Fees to be charged from students.

28.2 The first statutes of the Sports University shall be made by the Governing body and shall be submitted to the State Government for its approval.

28.3 The State Government shall consider the First Statutes, submitted by the Sports University and shall approve it within sixty days from the date of its receipt, with or without modifications as it may deem necessary.

28.4 The Sports University shall communicate its agreement to the first Statutes as approve by the State Government, and if it desires not to give effect to any or all the modifications made by the State Government under sub-section (3) it may give

reasons therefore and after considering such reason, the State Government may or may not accept the suggestions made by the Sports University.

28.5 The State Government shall publish the First statutes as finally approved by it, in the Official Gazette, and there after itself come into force from the date of such publication.

29. Subsequent Statutes:

29.1 Subject to the provisions of this Act and the rules made thereafter, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) Creation of new authorities of the Sports University;

(b) Accounting policy and financial procedure;

(c) representation of Teachers in the authorities of the Sports University;

(d) Creation of new departments and abolition or restructuring of existing Departments;

(e) Institutions of medals and prizes;

(f) Procedure for creation and abolition of posts;

(g) Revision of fees;

(h) Alteration of the number of seats in different disciplines; and

(i) All other matters which by or under the provision of this Act required to be prescribed by the statutes.

29.2 The Statutes of the University other than the first statutes shall be made by the board of management with the approval of the Governing Body.

29.3 The Statutes made under sub section (2) shall be submitted to the State Government and it may approve or, if considers necessary, give suggestions for modification as far as possible within two months from the date of receipt of the statutes.

29.4 The Governing Body shall consider the modifications suggested by the State Government and return the Statutes to it with its agreement to such changes or with its comments on the suggestions made by the State Government.

29.5 The State Government shall consider the comments of the Government Body and may approve the Statutes with or without modifications and it shall be publish by it in the Official Gazette, and shall come into force from the date of such publication.

30. First Ordinance:

30.1 Subject to the provisions of this Act, the rules and the Statutes made there under,

the First Ordinances may provide for all or any of the following matter, namely :-

30.1.1 The admission of students to the Sports University and their enrolments as such

30.1.2 The courses of study to be laid down for degrees diploma and certificates of the Sports University;

30.1.3 The award of degree , diploma, certificates and other academic distinctions , the minimum qualifications for the same ;

30.1.4 The conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

30.1.5 The conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies examiners and moderators;

30.1.6 Fees to be charged for the various course examinations, degrees or diplomas of the Sports University.

30.1.7 The conditions of residence of the students of the Sports University.

30.1.8 Provision regarding disciplinary action against the students;

30.1.9 The creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the Sports University.

30.1.10 The manner of co-operation and collaboration with other sports Universities, institutions of higher educations, Universities (both national and International)

30.1.11 Such other matter which are required to be provided by the Ordinances by or under this Act.

30.2 The First Ordinance of Sports University shall be made by the Chancellor which after being approved by the Governing Body, shall be submitted to the State Government for its approval.

30.3 The State Government shall consider the First Ordinance submitted by the Chancellor under sub-section (2) within sixty days from the date of its receipt and may approve it or give suggestions for modifications therein.

30.4 The Chancellor shall either modify the Ordinance incorporating the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the First Ordinance along with such

reasons , if any, to the State Government and on receipt of the same , it shall consider the comments of the Chancellor and may approve the First Ordinances of the Sports University with or without such modifications and it shall come into force from the date of such publication.

31. Subsequent Ordinances

31.1 All Ordinance other than the First Ordinance shall be made by the Academic Council which after being approved by the Governing Body shall be submitted to the State Government for its approval.

31.2 The State Government shall consider the ordinances submitted by the Academic Council under sub- section (1) as far as possible within two months from the date of its receipt and may approve it or give suggestion for modifications therein.

31.3 The Academic Council shall either modify the Ordinance incorporating the suggestions of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the Ordinance along with reasons , if any, to the State Government on receipt of the same it shall consider the comments of the Academic Council and may approve the Ordinance with or without modification and it shall be published in the Official Gazette, and shall come into force from the date of such publication.

32. Regulations:

The authorities of the Sports University may, subject to the prior approval of the Governing Body make Regulation, consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances made there under, for the conduct of business of the each such authority and committee constituted by each such authority.

33. Powers of State Government to give directions:

33.1 The State Government may, for the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the Sports University, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

33.2 The State Government shall communicate its recommendations to the Sports University on the basis of such assessment for corrective action. The Sports University may adopt such corrective measures and make efforts so as to ensure the compliance of the recommendations.

33.3 The State Government may give such directions as it may deem fit if the Sports University fails to comply with the recommendation made under sub section (2) within the time so prescribed by the State Government. The directions given by the State Government shall be immediately compiled by the Sports University.

FUNDS OF UNIVERSITY

34. Endowment Fund:

34.1 The Sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the Sports University within amount specified in the letter of intent.

34.2 The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the Sports University complies with the provisions of this Act and functions as per the provisions of this Act, the statutes and the Ordinances. The State Government shall have the power to forfeit, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes the provisions of this Act, statutes, the Ordinances, the regulations or the rules made there under.

34.3 The Sports University may utilise the income from the Endowment Fund for the development of infrastructure of the University and not to meet the recurring expenditure of the University.

34.4 The amount of Endowment Fund shall be invested in such instruments as the Government may prescribe and kept invested until the dissolutions of the Sports University.

34.5 In case of investment in long term security, the certificate of the securities shall be kept in the safe custody of the Government and in case of deposits in the interest bearing Personal Deposit account in the Government treasury, deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn without the permission of Government.

35. General Fund:

35.1 The Sports University shall establish a fund, which shall be called the General fund to which the following shall be credited, namely:

35.1.1 Fees and other charges received by the Sports University;

35.1.2 Any contribution made by the Sponsoring body;

35.1.3 Any income received from consultancy and other work undertaken by the Sports University in pursuance of its objective;

35.1.4 Trust, bequests, donations, endowments and any other grants; and

35.1.5 All other sums received by the Sports University.

35.2 The General Fund shall be utilized for the following objects, namely:

35.2.1 For the repayment of debts including interest charges thereto incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, the Ordinances, the regulations, and the rules made there under with the prior approval of the Governing body;

35.2.2 To upkeep the assets of the University;

35.2.3 For the payment of the fee for audit of the funds created under sections 7 and 8;

35.2.4 To meet with the expenses of any suit or proceedings by or against the University;

35.2.5 For the payment of salaries, allowances, provident fund contributions, Gratuity and other benefits to the Officers, employees and members of the teaching/ non teaching and research staff.

35.2.6 For the payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, other authorities and the member of any committee appointed by any of the authority or the President of the sponsoring body or the Chancellor as per their entitlements.

35.2.7 For the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to the students belonging to economically weaker sections of the society or research associates, trainees or, as the case may be, in any student otherwise eligible for such awards under the statutes, the Ordinances, the regulations or the rules;

35.2.8 For the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of Act, statutes, the Ordinances, the regulations or the rules;

35.2.9 For the payment of cost of capital, not exceeding the prime lending rate from time to time of the State Bank of India, incurred by the sponsoring body for setting up the University and the investments made therefore;

35.2.10 For the payment of charges and expenditure relating to the consultancy work undertaken by the Sports University in pursuance of this Act, Statutes the Ordinances, the regulations or the rules;

35.2.11 For the payment of any other expenses including service fee payble to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the University, on behalf of the sponsoring body as approved by the Governing body to be an expense for the purposes of the Sports University;

Provided that no expenditure shall be incurred by the sports university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Governing Body, without prior approval of the Governing Body.

ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT

36. **Annual Report:**

The Annual report of the Sports University shall be prepared by the University which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be submitted to the State Government.

37. **Audit and Annual Accounts:**

37.1 The annual accounts including balance sheet of the Sports University shall be prepared by the University and the Annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the Finance Department on demand of Sports University for this purpose.

37.2 A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the State Government.

WINDING UP OF UNIVERSITY

38. Winding up of University:

38.1 If the sponsoring body proposes to dissolve itself according to the provisions of law governing its constitution or incorporation; it shall give at least six months prior notice to the State Government.

38.2 The State Government shall, on receipt of such notice make such arrangements as may be necessary, for the administrations of the Sports University from the Date of dissolution of the sponsoring body till the completion of syllabus by the last batch of students admitted to the Sports University and may also cause the functioning of the University to continue by appointing an administrator in place of the sponsoring body, who shall be entrusted with the powers, duties and functions of the sponsoring body, duties and functions of the sponsoring body as prescribed under this Act.

39. Dissolution of University:

39.1 The sponsoring body who intends to dissolve the Sports University shall give a notice to that effect in the prescribed manner to the State Government. The State Government, after due consideration, may dissolve the University in the manner as may be prescribed;

Provided that the dissolution of the Sports University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or, as the case may be, awards.

39.2 On the dissolution of the Sports University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body in the manner as may be prescribed.

39.3 where the State Government decides under sub-section (1) to dissolve University, it may vest the powers of Governing body in prescribed manner to other bodies having similar objects till the dissolution of the university takes effect under the provision to the sub- section (1).

40. Special powers of the State Government under certain circumstances:

40.1 Where the State Government is of the opinion that the university has contravened any of the provision of this Act, the rules, the statutes or the ordinances made thereunder or has violated any of the direction issued by it under this Act or a situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the Sports University, it shall issue the notice requiring the University to Show cause within 45 days as to why administrator be not appointed.

40.2 On receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), if the State Government is satisfied that there is prima facie case of contravention of any of the provision of this Act, the rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or violation of directions issued by it under this Act or there is financial mismanagement or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

40.3 The State Government shall, for the purposes of any such enquiry under sub-section (2), appoint an Inquiry Officer or Officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

40.4 The Inquiry Officer or Officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of following matters, namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) Requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office.

40.5 On receipt of the inquiry report from the Officer or Officers appointed under sub section (3), if the State Government is satisfied that the Sports University has contravened all or any of the provisions of this Act, the rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under

this Act or a situation of financial mismatch and mal-administration has arisen in the university which threatens the academic standard of the Sports University, it may appoint an administrator.

40.6 The administrator appointed under sub section (5) shall exercise all the powers and perform all the duties of the Governing bodies and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the Sports University until the last batch of Students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded with degrees, diplomas or , as the case may be, awards.

40.7 After having been awarded the degrees, diplomas or, as the case may be , to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to that effect to the State Government.

40.8 On receipt of the report under sub section (7), the State Government shall dissolve the University and on dissolution of the University, all the assets and liabilities of the Sports University shall vest in the sponsoring body.

MISCELLANEOUS

41. Power of the State Government to make rules:

41.1 The State Government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

41.2 All rules made under this section shall be laid for not less than 30days before the State legislature or to such modification as the State Legisture may make during session in which they are so laid for the session immediately following.

42. Completion of course of Students:

Notwithstanding anything contained in this Act or the regulation, any student of the constituent colleges or institutes of the sports university specified in the schedule and affiliated to any University who immediately before the commencement of this Act was studying or was eligible for any examination of that University shall be permitted to complete his course in preparation therefor, and the university shall provide for the instruction, teaching, training and examination of such students, in accordance with the course of studies of the respective university in such manner and for such period as may be prescribed.

43. Power to remove difficulties.

43.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions not inconsistent with the provisions of the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no notification order under sub section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

43.2 Every order made under this section shall, as soon as after it is made, be laid before, the State Legislature.

SCHEDULE - A

(1) May acquire not less than 10 acres of land for its main Campus after starting the functioning of the University.

(2) May construct academic building including library, lectures theatres, laboratories etc. adequate residential accommodations for teachers, guest houses , hostels which shall gradually be increased to accommodate at least 25 % of the total students strength in each course within 3 years of its coming into existence. In case the Sports University is conducting professional programmes of study, prevailing norms and standards of respective statutory body shall be applicable. Existing institutes must undertake expansion/ renovation/restructuring to meet the prescribed norms of the State Government.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रवास कुमार सिंह),
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 414 - 50